(34)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : के0सी0 जैन
सदस्य

अपील प्रकरण कमांक 361–दो/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 01–12–2012 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 237/अपील/2012–13.

ददउआ उर्फ ददुआ राजपूत पु. स्व0 जगदेव राजूत
निवासी ग्राम सोनोरा तहसील रघुराजनगर
जिला सतना म0प्र0

——— अपीलार्थी

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन

——— प्रत्यर्थी

.....

श्री आर0एस0 सेंगर, अभिभाषक, अपीलार्थी
श्री सुनील श्रीवास्तव, अभिभाषक, प्रत्यर्थी

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 23 मई 2016 को पारित)

अपीलार्थी द्वारा यह अपील म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 44(2) के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 01–12–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट ने भूमि खसरा कमांक 155 रकवा 6.68 एकड एवं खसरा कमांक 156 रकवा 0.52 एकड़ कुल किता 2 कुल रकवा 7.20 एकड़ स्थित ग्राम सोनौरा तहसील रघुराजनगर जिला सतना की भूमि के भूमिस्वामी घोषित किये जाने हेतु संहिता की धारा 57(2) के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर तहसीलदार रघुराजनगर का जांच प्रतिवेदन प्राप्त करने के उपरांत अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 30–8–11 पारित कर अपीलार्थी का आवेदन निरस्त किया।

अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 01–12–12 के द्वारा अपील अवधि बाह्य एवं धारा 57(2) के अधिकार राज्य शासन को प्रत्योजित हो जाने से अग्राह्य की। अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ अपीलार्थी अभिभाषक ने तर्क किया कि अपीलार्थी द्वारा अपर आयुक्त ने 57(2) म0प्र0 भू–राजस्व संहिता का मानकर खाजिर करने में भूल की है जबकि अपीलार्थी द्वारा केवल खसरा सुधार हेतु आवेदन दिया था। रियासत रीवा के खसरा में सन 1982–2002 तक अपीलार्थी के दादा का नाम अंकित था उसके बाद सन् 1972–73 में म0प्र0 शासन दर्ज कर अपीलार्थी का नाम खसरा के कॉलम नं0 12 में दर्ज कर दिया। इसी कारण अपीलार्थी ने खसरा सुधार हेतु आवेदन अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया था। परन्तु अपर आयुक्त ने इन तथ्यों पर बिना ध्यानद दिये अपील खारिज करने में त्रुटि की है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी वृद्ध होने एवं बीमार था जिसके कारण अपील समय बाधित हुई इसके लिए विधिवत म्याद अधिनियम की धारा 5 का आवेदन के साथ अस्पताल का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया था, परन्तु अपर आयुक्त ने इस ओर भी नहीं दिया। अतः अपील स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4/ प्रत्यर्थी शासकीय अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलार्थी ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष संहिता की धारा 57(2) के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। अनुविभागीय अधिकारी ने पूर्ण जांच उपरांत विवादित भूमि को शासकीय माना है और अपीलार्थी का आवेदन निरस्त किया। यह भी तर्क दिया कि अपर आयुक्त ने विधिवत प्रकरण में संहिता की धारा 57(2) के प्रावधान राज्य शासन को प्रत्योजित होने से प्रकरण अग्राह्य किया है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 57(2) के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत कर विचाराधीन भूमि का भूमिस्वामी घोषित किये जाने बावत आवेदन अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर को प्रेषित किया गया, जिसपर अनुविभागीय अधिकारी ने विधिवत तहसीलदार से जांच प्रतिवेदन माना। तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 74/अ74/2010–11 में दिनांक 17–8–2011 को विचाराधीन भूमि को शासकीय मानने एवं व्यवहार अपील कमांक 124ए/2002 आदेश दिनांक 24–12–2003 की अपील खारिज होने संबंधी जांच प्रतिवेदन अनुविभागीय को प्रेषित किया है। अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त तथ्यों पर पूर्ण विचारोपरांत ही अपीलार्थी का आवेदन निरस्त किया है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की अवैधानिकता प्रकट नहीं होती है। जहां तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है अपीलांट द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष अवधि बाह्य एवं क्षेत्राधिकार विहीन अपील प्रस्तुत की गई थी जिसे अपर आयुक्त ने अग्राह्य किया है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 के नवीन संशोधन 2011 के अनुसार धारा 57(2) के अधिकार राज्य शासन में प्रत्योजित किये गये हैं। ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त का आदेश भी विधिसम्मत प्रतीत होता है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त रीवा संभाग का आदेश दिनांक 01–12–2012 स्थिर रखा जाता है।

(के0सी0 जैन)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर